28.2.90

सिटी-बोर्ड (नगर परिषद) जौनपुर की आज की बैठक दिनांक 28.2.90 दिन बुधवार, अपरान्ह 4.00 बजे, श्री सीताराम यादव, अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड-जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल कार्यालय में हुयी जिसमें 20 सदस्य उपस्थित रहे. उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1. श्री सीताराम यादव — अध्यक्ष,
2. " मिठाई लाल — सदस्य
3. " राम अधार यादव — "
4. " डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव — "
5. " श्रीमनाथ आर्य — "
6. " मिर्जा ज्यारत हुसैन — "
7. " बाबूलाल गुप्त — "
8. " गणेशनाथ यादव — "
9. " रमजान खां — "
10. " अनस रजा उर्फ मझला जी — "
11. " राजेन्द्र प्रताप सिंह — "
12. " मो० सलीम — "
13. " बाबूराम — नामित सदस्य
14. " वीरेन्द्र प्रताप यादव — सदस्य
15. " नरेन्द्र बहादुर सिंह — "
16. " मुरव्वत अहमद — "
17. " सै० मेंहदी हसन — "
18. " कैलाशनाथ मौर्य — "
19. " शिवकुमार गुप्त — "
20. " रवीन्द्र प्रताप सिंह — "
21. " दुखलाल साहू — "

(हस्ताक्षर)
जलकल अभियन्ता
प्र० अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
28.2.90

(हस्ताक्षर) सीताराम यादव
अध्यक्ष
सिटी-बोर्ड
जौनपुर

प्रस्ताव :-

1. बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 25.1.90 की कार्यवाही वाली पुष्टि।

निर्णय :-

अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी (सचिव), सिटी बोर्ड मौदहा की अनुमति से परिषद लिपिक श्री महेशनारायण द्वारा गत बैठक दिनांक 25.1.90 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही पुष्टि हेतु सभा-कक्ष में पढ़ी गयी। कार्यवाही पढ़ने के क्रम में प्रस्ताव सं० 5 में अधिशासी अधिकारी श्री रामकमलेश त्रिपाठी, के खिलाफ पारित निन्दा प्रस्ताव में लिये गये निर्णय में श्री अनसरजा (भइया जी) सभासद द्वारा जहाँ (पृष्ठ 57 दायी ओर) असंसदीय शब्दों के प्रयोग किये जाने की बात लिखी गयी है, पर डा० श्री कृष्ण-कुमार श्रीवास्तव, सभासद ने अपना सुझाव सभी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करते हुये कहा कि श्री अनसरजा हमारे बीच एक मान्य सभासद हैं और अपने ही भाई सभासद के ~~[illegible]~~ द्वारा असंसदीय शब्दों के प्रयोग को लिखा जाना उचित नहीं प्रतीत होता। सभाकक्ष में उपस्थित सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार कर लिया जाय और सभी की सहमति हो तो उस असंसदीय शब्दों के प्रयोग की शब्दावली को उक्त प्रस्ताव से निकाल दी जाय। इस सुझाव पर सभी सभासदों की सहमति पायी गयी और सर्वसम्मति से उक्त असंसदीय शब्द को उस प्रस्ताव से समाप्त करने का निर्णय हुआ तत्पश्चात आगे की कार्यवाही

28.2.90

प्रस्ताव	निर्णय:-
	पढ़ी गयी और सर्वसम्मति से पिछली बैठक के कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2. सिटी-बोर्ड जौनपुर का वित्तीय वर्ष 1989-90 के माह माह दिसम्बर 89 व जनवरी 1990 का मासिक आय-व्यय लेखा विवरण पत्रादि परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ -	लेखा विभाग द्वारा 1.4.89 से 31.1.90 तक की विभिन्न मदों के आय-व्यय के आँकड़े प्रस्तुत किये गये। चर्चा के दौरान डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि मद संख्या 10(बी) पोस्टर टैक्स की आय (Income) क्यों शून्य दिखायी गयी है? जिसके उत्तर में यह स्पष्ट किया गया कि पोस्टर टैक्स शासन द्वारा समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप उक्त मद की आय शून्य है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुये डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि वर्तमान समय में अश्लील पोस्टरों की नगर में बाढ़ सी आ गयी है, विशेषकर विद्यालय भवनों, गेटों तथा ऐसे विशेष स्थानों पर अश्लील पोस्टर लगाये गये हैं, जिससे जनता, व बच्चों, छात्रों/छात्राओं पर कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक है - इसकी रोक-थाम के लिये कड़े उपाय किये जांय जिसका समर्थन सभी सभासदों ने किया जिस पर यह निर्णय लिया गया कि

प्रस्ताव:-

निर्णय:-

सिनेमा मालिकों को पत्र लिखे जाय साथ ही मनोरंजन कर अधिकारी को भी पत्र द्वारा अनुरोध किया जाय कि वे अपने स्तर से अश्लील पोस्टरों को नगर में ऐसे स्थानों पर लगाने हेतु रोक लगायें। आय-व्यय विवरण के चर्चा के दौरान ही डा० श्री श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि नगर-पालिका द्वारा पोस्टर लगाने के स्थल बनाये गये हैं तो क्यों न उन्हीं स्थानों पर ही पोस्टर लगाये जाते, जिस पर सहमति व्यक्त करते हुये अध्यक्षा महोदय द्वारा सिनेमा मालिकों को उपरोक्तानुसार पोस्टर लगाने हेतु पत्र लिखे जाने का आश्वासन दिया गया।

आय पक्ष पर ही चर्चा के दौरान डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने मद संख्या 13 'पाउन्ड शीर्षक' मद में आय (Income) न होने के कारण को जानना चाहा, जिसके सम्बन्ध में यह बताया गया कि पाउन्ड घर में अब मैदान है, जिसमें ठीकेदार भैंसों को रखता है, ऐसी दशा में कोई भी छुट्टा जानवर पकड़ कर बन्द नहीं किये जाते अतएव इससे कोई आय नहीं हुयी है।

28.2.90.

प्रस्ताव	निर्णय :-
	आय व्यय विवरण की समीक्षा के ही दौरान मद सं० 21(बी) 'वाचालय' से मात्र रु 5,402.00 (पाँच हजार चार सौ दो रुपये) आय तथा रु 47,748/- सैंतालिस हजार सात सौ अड़तालिस रुपये का व्यय, एक आश्चर्यजनक स्थिति देखते हुये सदन में पूछा गया, जिस पर सचिव द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि स्टार हाउस की नित्य सफाई हेतु चार स्वच्छकार (मेहतर) लगाये गये हैं, जिनके वेतन पर इतनी धनराशि व्यय हुयी है, इस पर डा० श्री कृष्ण-कुमार श्रीवास्तव, सभासद ने कहा कि इससे होने वाली आय के स्रोत व दर क्या है? अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आय की दर बहुत ही कम और काफी पुरानी है, इसलिये आय कम हुयी है और कर्मचारियों का वेतन लगातार बढ़ने के कारण व्यय में बढ़ोत्तरी हुयी है, इस पर डा० श्री श्रीवास्तव सभासद, व अन्य कई मान्य सदस्य ने स्टार हाउस में लागू पुरानी दर को संशोधित करने हेतु सुझाव रक्खा, जिस पर अध्यक्ष द्वारा सहमति पायी गयी और

प्रस्ताव -

निर्णय -

उन्होंने कहा कि दरों की बढ़ोत्तरी करने में जो भी वैधानिक नियमानुसार संशोधन के प्रस्ताव लाये जायेंगे, तदनुसार रेट बढ़ाये जाने पर विचार किया जायेगा। बहस के दौरान स्लाटर हाउस की सफाई समुचित मात्रा में न होने की बात उठायी गयी, इस पर सचिव ने बताया कि स्लाटर हाउस में नाली का अभाव होने के कारण ऐसी स्थिति है, श्री उदयशंकर पाण्डेय, नगर अभियन्ता ने बताया कि उक्त नाली की मरम्मत / पुनः स्थापना हेतु 800/- आठ सौ रुपये का व्यय अनुमान आया है और नाली शीघ्र ही बनवा दी जायेगी। स्लाटर-हाउस में प्रतिनियुक्त स्वच्छकार सफाई का कार्य ठीक से नहीं करते, और उन पर उचित नियंत्रण नहीं है, इसलिए उचित यही होगा कि क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक के निर्देशन में ही स्लाटरहाउस के स्वच्छकार कार्य करेंगे। चर्चा के दौरान श्री गणेश नाथ रावत, मान्य सभासद ने कहा कि जो जानवर वध्य होते हैं, उन पर अस्पताल के डाक्टर की मोहर नहीं लगती तथा बहुत से छोटे जानवर दुकानों पर ही काटे

28.2.90.

प्रस्ताव :- | निर्णय :-

जाते हैं, वह उचित नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री शिवकुमार गुप्त, मान्य सभासद ने कहा कि जहाँ तहाँ जानवरों का वध कर दिया जाता है तथा गोश्त की दुकानें जहाँ तहाँ खोल दी जाती हैं, यह सर्वथा गलत है, इसे रोका जाय तथा इसके लिये कोई निर्धारित स्थान बनाया जाय, जहाँ मीट मार्केट हो अध्यक्ष महोदय द्वारा इसे शीघ्र कार्यान्वित किये जाने का आश्वासन दिया गया।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ने कहा कि व्यय मद संख्या 9 प्रकाश मद में 3,07,255/- व्यय लिखा हुआ है, जिसका विस्तृत विवरण दिया जाय कि उक्त व्यय किन किन मदों पर व्यय किये गये हैं साथ ही स्ट्रीट लाइट के सामान कब कब खरीदे गये इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लेखाकार ने बताया कि प्रकाश विभाग में कुल 18 लैम्प लाइटर एक प्रकाश निरीक्षक, एक प्रकाश लिपिक, का वेतन तथा शेष स्ट्रीट लाइट के सामानों आदि पर व्यय हुये हैं। अध्यक्ष

प्रस्ताव:-

निर्णय:-

महोदय द्वारा प्रकाश विभाग के विस्तृत व्यय विवरण को बोर्ड की अगली बैठक में रखे जाने का आदेश हुआ।

श्री गणेशनाथ रावत, मान्य सभासद ने कहा कि अस्पताल मद पर रु 11,270/- व्यय होना दिखाया गया है, यह धनराशि किस अस्पताल के लिये खर्च की गयी है, स्पष्ट किया जाय, तब सचिव ने बताया कि बोर्ड द्वारा चलाये जा रहे जच्चा बच्चा केन्द्र के अन्तर्गत एक दाई नियुक्त है जिनके वेतन पर व्यय की धनराशि उक्त अस्पताल मद शीर्षक में अंकित है।

श्री राम अधार यादव, मान्य सभासद, ने व्यय मद के अन्तर्गत विविध व्यय शीर्षक के मद में 2,16,519/- के व्यय को जानना चाहे, जिसे सचिव व लेखाकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि कर्मचारियों के एल० आई० सी० के धन या अन्य विभागीय आय (Income) जो इस मद में व्यय किये जाते हैं, वे सभी व्यय इसी विविध व्यय में आते हैं।

अंत में मासिक आय-व्यय लेखा विवरण पत्रादि सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

28.2.90

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
3. नगर-पालिका बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, में गणित शिक्षण कार्य हेतु शिक्षिका के अभाव में छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुये श्रीमती सुशीला सिंह को 400/- मासिक वृत्तिका पर अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार की गयी नियुक्ति सम्बन्धी विषय मा० परिषद के अनुमोदनार्थ।	स्वीकार।
4. पालिका प्रकाश व्यवस्था के लिये 20/- दैनिक वेतन पर रखने गये मिस्त्री का कार्यकाल 1.2.90 से 30-6-90 तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रकाश विभागीय आख्या मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद के अनुमोदनार्थ।	दिनांक 1.2.90 से 31.3.90 तक के लिए स्वीकृत।
5- पालिका सफाई विभाग एवं जलकल विभाग के पुराने ट्रक, ट्रैक्टर, सफाई उपकरण एवं भैंसा गाड़ी वगैरह तथा मशीनरी (पम्प-मोटर वगैरह) जिनका अब कोई उपयोग नहीं है, जो कबाड़ के रूप में पड़े हैं, की नीलामी परिषद के अनुमोदनार्थ।	सभासदों द्वारा बेकार सामानों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर श्री नरेन्द्रनाथ सिंह, क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक तथा कार्यवाहक वरिष्ठ नगर स्वा० अधिकारी ने बताया कि ट्रक 46 माडल है, जिसमें इन्जन नहीं है, एक ट्रैक्टर सन 51-52 माडल का है जो बेकार पड़ा है, इसे नीलामी हेतु प्रस्ताव है, इस

प्रस्ताव:-

निर्णय:-

पर सभी मान्य सभासदों की सहमति पायी गयी और बोलाकी के पश्चात प्राप्त ध्यान से दूसरी नयी गाड़ी मंगाये जाने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।

चर्चा के दौरान मो० सलीम मान्य सभासद ने कहा कि उनके वार्ड में जो भैंसा गाड़ी चलती थी, वह बन्द है, श्री इनाम अली मिस्त्री से पूछने पर मालूम हुआ कि वेल्डिंग के पैसों का भुगतान न हो पाने के कारण, गाड़ी खराब हालत में है, इसपर श्री गणेशनाथ रावत सभासद ने कहा कि भैंसा गाड़िया कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में चलती है, के उत्तर में अध्यक्ष की अनुमति से श्री नरेन्द्रनाथ सिंह वरिष्ठ सफाई एवं स्वास्थ्य निरीक्षक ने बताया कि प्रथम क्षेत्र में दो भैंसा गाड़ी, द्वितीय क्षेत्र में तीन तथा तृतीय क्षेत्र में चार भैंसा गाड़ियाँ चल रही हैं। अन्त में अध्यक्ष महो० द्वारा टूटी हुयी गाड़ियों का शीघ्र ही मरम्मत कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

6. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी पर रखे गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल 1.2.90 से 30-6-90 तक बढ़ाये जाने.

दिनांक 1.2.90 से 31.3.90 तक के लिए स्वीकृत।

28.2.90.

प्रस्ताव:-	निर्णय:-
की स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय आपेक्षाती अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुति परिषद के अनुमोदनार्थ।	
7. पालिका सफाई विभाग में तीन ट्रैक्टरों पर 9 सफाई बेलदार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखने की स्वीकृति अवधि 1.2.90 से 30-6-90 तक बढ़ाये जाने की स्वास्थ्य विभागीय आख्या मय आपेक्षाती अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद के विचारार्थ।	दिनांक 1.2.90 से 31.3.90 तक के लिये स्वीकृत।
8. पालिका जलकल विभागीय नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखे गये 39 पम्प अटेन्डेंटों का कार्यकाल 1.2.90 से 30-4-90 तक बढ़ाये जाने की जलकल विभागीय आख्या मय आपेक्षाती अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद के अनुमोदनार्थ।	दिनांक 1.2.90 से 31.3.90 तक के लिये स्वीकृत।
9. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन पर रखे गये 6 बेल-दारों का कार्यकाल 1.2.90	दिनांक 1.2.90 से 31.3.90 तक के लिये स्वीकृत।

28.2.90 प्रस्ताव सं० 10 दिनांक 28.2.90

साधारण सड़क अनुदान 1989-90 से प्राप्त 14-50 लाख से होने वाली निविदा का परिषद स्वीकृति हेतु ।

क्रमांक	कार्य का नाम	स्वीकृत आकलन	न्यूनतम निविदादाता	न्यूनतम निविदा की धनराशि	प्राप्त निविदाओं की सं०	विशेष
	...दालगर टोला में श्री वारी एडवोकेट के मकान के पास क्रास नाली निमार्ण ।	रू03625=00	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	रू02950=75	9 अदद	रेट 18.6% पर
	मो0दालगर टोला में श्री अब्बार जाफरी के मकान से स्कूल तक सोलिंग निमार्ण ।	रू010,216=00	श्री हीरालाल	रू08520=14	16 "	" 16.6%
	...अटाला मस्जिद के पीछे चौक के बगल वाली गली तथा अलफस्टीनगंज को मिलने वाली गली को खड़ंजा एवं नाली निमार्ण ।	रू042,922=40	श्री हीरालाल	रू034,606=88	17 "	" 19.5%
	...अटाला मस्जिद के सामने मैदान पर क्रास नाली निमार्ण ।	रू03020=80	रोहित कन्ट्रक्शन कम्पनी	रू02604=77	10 "	" 14%
	...मो0में 3 विभिन्न स्थानों पर क्रासिंग निर्माण ।	रू019023=00	श्री हुसैन अब्बास	रू020135=85	3 "	" 5.58% अधिक
	मो0 कोष्ठावीर में पुरानी बाजार के पास श्री नासिर हुसैन मकान से श्री हासिम के मकान तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	रू029393=38	श्री हुसैन अब्बास	रू030995=38	3 "	" 5.45%
	मो0 मुल्लाटोला में श्री सफदीर हुसैन के मकान पास सोलिंग एवं क्रास नाली निमार्ण ।	रू0 5701=21	श्री हुसैन अब्बास	~~रू04845=65~~ रू0 6058=11	4 "	" 6.28%
	...बाजार भुआ से पानदरीबा रोड से इस्लाम चौक तक सोलिंग एवं नाली निमार्ण ।	रू017,517=00	श्री हुसैन अब्बास	रू018485=65	3 अदद	रेट 5.53% अधिक पर

~~अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष-महोदय,~~

(हस्ताक्षर)
नगर अभियन्ता
सिटी बोर्ड जौनपुर

(हस्ताक्षर)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष
सिटी बोर्ड जौनपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
से 30-4-90 तक बढ़ाये जाने की अवलोकन किया और आज्ञा मय अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद के अवलोकनार्थ।	
10. शासनादेश संख्या 2701ए/9-1.89-503-सा०प्र०अनु०/89 दिनांक 26-7-89 द्वारा प्राप्त सड़क अनुदान धनराशि रु०15.50लाख से पालिका के विभिन्न वार्डों में आठ निर्माण कार्यों के लिये प्राप्त निविदाओं की सूची, उसमें अंकित न्यूनतम निविदादाता और उनकी निविदा की न्यूनतम धनराशि स्वीकार करने की अधिशासी-अधिकारी/अध्यक्ष की संस्तुतियों के साथ परिषद स्वीकृति हेतु।	सर्व सम्मति से स्वीकार।
11. परिषद प्रस्ताव सं० 4 दिनांक 25-1-90 में नव-गठित नौ पालिका समितियों के सभापतियों के निर्वाचन पर विचार।	निम्न प्रस्तावकों व समर्थकों द्वारा कमेटी के सभापतियों का चुनाव सभाकक्ष में सर्वसम्मति से किया गया।

विभाग	कमेटी के प्रस्तावित सभापति का नाम	प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम
1. वित्त	श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	श्री गणेशनाथ रावत
2. शिक्षा-	श्री राम अधार यादव	श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह
3. पुस्तकालय-	श्री दयाशंकर	श्री गणेशनाथ रावत	श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव.
4. प्रकाश	श्री मिठाई लाल	श्री मो० सलीम	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
5. चुँगी.	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह	श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव.	श्री सै० मेंहदी रा[illegible]
6. सांस्कृतिक-	श्री बाबूराम	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	श्री मो० सलीम
7. जन-स्वास्थ्य -	श्री शिल कुमार गुप्त	श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव	श्री गणेशनाथ रावत
8. निर्माण -	श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह	श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह.	श्री सै० मेंहदी हसन
9. जलकल -	श्री मो० सलीम	श्री वीरेन्द्र प्रताप	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

Scanned with OKEN Scanner

28.2.90.

प्रस्ताव.–	निर्णय.–
12. टेलीफोन विभाग द्वारा भूमि में केबिल डालते समय सड़क की काटी गयी पटरी को मालिक चौक से होते हुये नई सड़क को मिलाने वाली सड़क की मरम्मत हेतु 275पा॥ पैसे का व्यय अनुमान परिषद के स्वीकृतार्थ।	सर्वसम्मति स्वीकार।

अन्य विषय:– चर्चा काल.–

चर्चा के दौरान श्री मो० सलीम, मान्य सभासद ने कहा कि जो 19 सफाई कर्मचारी (स्वच्छकार) रिटायर हो गये हैं, उनको सेवानिवृत्ति का मामला है, उसके लिये क्या हो रहा है? इस पर अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिये जांच चल रही है। जांच पूरी होने पर ही वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुख्तार अहमद, मान्य सभासद ने कहा कि पिछली बैठक में यह तय पाया गया था कि हर सभासद को एक एक दैनिक वेतन का कर्मचारी (स्वच्छकार) दिया जायेगा लेकिन नहीं दिया गया, ऐसा क्यों? उनका वेतन बिना सभासदों के कार्य सत्यापन के कैसे दिया जायेगा? इस पर अध्यक्ष ने सदन को बताया कि काम में कोई कठिनाई न हो, इसके लिये हमलोग बैठकर आपस में विचार कर लेंगे कि वस्तुतः व्यावहारिक कठिनाइयां क्या हैं? इसी पर पुनः श्री मुख्तार अहमद, सभासद ने कहा कि यदि ऐसा है तो इन 25 सफाई दैनिक वेतन कर्मचारियों को हटाकर देखा जाय कि कार्य में क्या व्यवधान उत्पन्न होता है, यदि कार्य में व्यवधान नहीं होता तो इन 25 दैनिक वेतन के सफाई कर्मचारि

Scanned with OKEN Scanner

को दैनिक वेतन पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्हें हटा दिया जाय।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री रामअवतार यादव, सभासद, ने कहा कि यदि सभी सभासदों को एक-एक स्वच्छकार दैनिक वेतन का दिया जायेगा और वह उनके यहाँ जाकर हाजिरी देगा और उनके कथनानुसार कार्य करे, तो इससे वार्ड में काफी दिक्कतें बढ़ जायेंगी जैसा कि उनके वार्ड में तीन दैनिक वेतन स्वच्छकार हैं, जो अपने-अपने रोड का कार्य, जो उनके घर से काफी दूरी पर पड़ता है, करते हैं, यदि वे उनके घर हाजिरी देने जायेंगे तो इतना समय काम का हर्ज होगा, लिहाजा वे श्री मुख्तार अहमद की बातों से सहमत नहीं हैं। इस पर अध्यक्ष जी ने कहा कि इन 25 दैनिक वेतन स्वच्छकारों के कार्य-स्थल की विस्तृत सूची उनके नाम व पते सहित तैयार करा ली जाय, और उसे सदन पटल पर विचार हेतु रखा जाय।

हाजी मो० सलीम, मान्य सभासद ने कहा कि उनके चाचकपुर वार्ड के 5 मुहल्लों में सफाई कर्मचारी नहीं हैं, जहाँ पर उनकी काफी आवश्यकता है, जिसके लिए प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उसे एजेन्डा में नहीं रखा गया। इस पर अध्यक्ष ने बताया कि इस पर विचार कर व्यवस्था की जायेगी। श्री हाजी मो० सलीम ने कहा कि 2 बेलदार (सफाई) ऐसे हैं, जो उनके वार्ड में रहते हैं और वे सुबह-शाम घूमते रहते हैं और दफ्तर पर नहीं जाते, इस पर अध्यक्ष ने उन बेलदारों का पता लगाने का निर्देश दिया, और मान्य सभासद द्वारा कही गयी बात जाँच के दौरान सही पाये जाने पर उन्हें तत्काल हटा दिया जाय।

चर्चाकाल के दौरान श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष ने सुझाव दिया कि जो भी सभासद अपने-अपने व्यय से अपने अपने निवास पर टेलीफोन लगवाना चाहें, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाय और बोर्ड जो भी सहयोग देना चाहे उसे दे, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह प्रस्ताव उचित प्रतीत होता है)

28.2.90.

यदि मान्य सभासद चाहें तो ऐसा प्रस्ताव बोर्ड में लायें और उस पर विचार अवश्य किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, ने यह भी सुझाव दिया कि पालिका कार्यालय के समक्ष ठेला, ट्राली आदि खड़े होते हैं, इससे कार्यालय की शोभा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिये इन सवारी वाहनों को कहीं अन्यत्र खड़ा करने की व्यवस्था की जाय एवं लान को मेन्टेन किया जाय, जिसमें प्रकाश तथा फूल फुलवारी की समुचित व्यवस्था की जाय, जिससे जनता में पालिका के प्रति विश्वास जमे कि बोर्ड कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, श्री सिंह के उक्त सुझाव पर अध्यक्षा महोदय द्वारा सहमति पायी गयी और उन्होंने आश्वासन दिया कि लान के सौन्दर्यीकरण का कार्य शुरू है शेष कार्यवाही शीघ्र ही पूरी करा दी जायगी।

श्री गणेशताप रावत, मान्य सभासद ने सुझाव दिया कि ईसापुर से जो मार्ग जलकल प्रांगण के बगल से शाहगंज रोड पर मिलती है, उसे चौड़ा किया जाय, अध्यक्ष महोदय ने सहमति व्यक्त करते हुये एक दिन मौके का निरीक्षण करके, समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, मान्य सभासद ने सुझाव दिया कि वर्तमान समय में नगर में अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गयी है, हर तरफ लकड़ी की गुमटियां, सड़क पटरियों पर रखकर अतिक्रमण किये जा रहे हैं, इस पर नियन्त्रण रखवा जाय और इसे हटवाया जाय तथा जो भी अवैध अतिक्रमण होते हैं, उन्हें रोका जाय। अध्यक्षा ने उक्त सुझाव से सहमति व्यक्त करते हुये, श्री गुलाम हसनैन,

राजस्व निरीक्षक से ऐसे अतिक्रमणों की सूची तैयार कराकर तदनुसार अवैध अतिक्रमण को हटवाने का आश्वासन दिये।

श्री मिर्जा ज्यारत हुसेन, मान्य सभासद ने कहा कि बारहदरी घाट पर शवदाह निर्माण हेतु व्यय अनुमान आ गया है, जिसे बोर्ड की अगली बैठक में रखवा जाय।

(हस्ताक्षर)
जलकल-अभियन्ता
प्रभारी अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
28.2.90

(हस्ताक्षर) यादव
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड
जौनपुर
28.2.90